cen'II 1119
2/1/09

41

राजस्थान राज–पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

सत्यमेव जयते

अग्रहायण 11, मंगलवार, शाके 1930–दिसम्बर 2, 2008
Agrahayana 11, Tuesday, Saka 1930–December 2, 2008

भाग 1 (ख)
महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग

आज्ञा

जयपुर, नवम्बर 25, 2008

संख्या प.3(22)वन/2008:–जोड़ बीड़ गाढवाला, बीकानेर कन्जरवेशन रिजर्व के अच्छे एवं प्रभावी, नियंत्रण एवं प्रबन्धन हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान–जयपुर के सहयोग के लिए वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की धारा 36 बी के तहत निम्नानुसार कमेटी का गठन किया जाता है :–

1.	मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक का प्रतिनिधि	अध्यक्ष
2.	मण्डल वन अधिकारी, बीकानेर	सदस्य
3.	उप वन संरक्षक, वन्यजीव, बीकानेर	सदस्य सचिव
4.	सहायक निदेशक, पशुपालन विभाग, बीकानेर	सदस्य
5.	उप निदेशक, कृषि विभाग, बीकानेर	सदस्य
6.	डॉ. प्रताप सिंह, सहायक प्रोफेसर डूंगर महाविद्यालय, प्राणीशास्त्र विभाग, बीकानेर	सदस्य
7.	अध्यक्ष, अखिल भारतीय जीव रक्षा समिति, तहसील बीकानेर	सदस्य
8.	अध्यक्ष, पशु क्रुरता निवारण समिति, बीकानेर	सदस्य
9.	सरपंच, ग्राम पंचायत, गाढवाला	सदस्य
10.	सरपंच, ग्राम पंचायत, रिडमलसर	सदस्य
11.	सरपंच, ग्राम पंचायत, उदयरामसर	सदस्य
12.	सरंपच, ग्राम पंचायत किल्चू देवड़ान	सदस्य
13.	सरपंच, ग्राम पंचायत, आम्बासर	सदस्य

आज्ञा से,
बी.एल. आर्य,
शासन सचिव वन विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

वन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, नवम्बर 25, 2008

संख्या प.3(22)वन/2008:–वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 (1972 का केन्दीय अधिनियम संख्या 53), जो कि भारत सरकार, कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) की अधिसूचना संख्या एफ. 11014/3/72–एफ.आर.वाई./डब्ल्यू.एल.एफ. दिनांक 1 सितम्बर, 1973 से राजस्थान राज्य पर लागू किया जा चुका है, की धार 36 ए के उप बन्धों के अधीन (धारा 18, 27 28 एवं 32, 33 के उपबंधों के अधीन) राज्य सरकार बीकानेर जिले के जोड़ बीड़ गाढवाला रक्षित वन खण्ड जो राज्य सरकार की

2 / 10

अधिसूचना दिनांक 8 दिसम्बर, 1966 क्रमांक एफ.7 (66)रा.का./66 दिनांक 26-4--1966 के अनुसार रक्षित वनखण्ड घोषित किया जा चुका है कि निम्न अनुसूची में वर्णित 5646.62 है. रक्षित वनभूमि को पारिस्थितिकीय व प्राणी जातीय, वनस्पतीय भू-संरचना सम्बन्धित नैसर्गिक एवं प्राणी शास्त्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए एतद्द्वारा **"कन्जरवेशन रिज़र्व"** घोषित करती है, जिसे भविष्य में **"जोड़ बीड़ गाढ़वाला, बीकानेर कन्जरवेशन रिजर्व"** के नाम से जाना जावेगा एवं जो उक्त अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों या जारी किये गए आदेशों के उपबन्धों का विषय होगा।

अनुसूची

उत्तर	–	बीकानेर से जयपुर मीटर गेज रेल्वे लाईन के साथ-साथ 454.4 कि.मी. से 451.2 कि.मी. तक, तत्पश्चात् 90" उत्तर की तरफ चलकर वन सीमा वन खण्ड जोड़ बीड़, उक्त मिलान बिन्दु से वन खण्ड जोड़ बीड़ की उत्तरी सीमा एवं बीकानेर से नापासर सड़क के साथ 15 कि.मी. स्तम्भ तक
पूर्व	–	वनखण्ड जोड बीड़ की पूर्वी सीमा
दक्षिण	–	वन खण्ड जोड़ बीड़ की दक्षिणी सीमा, बड़ी रेल्वे लाईन बीकानेर से जोधपुर 472 कि.मी. तक
पश्चिम	–	राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान संस्थान की पूर्वी सीमा की तारबंदी के साथ-साथ मीटर गेज़ रेलवे लाईन बीकानेर से जयपुर 454.4 कि.मी. तक।

राज्यपाल की आज्ञा से,
बी.एल. आर्य,
शासन सचिव वन विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।